सत्यमेव जयते

| राजस्थान राज–पत्र साधारण | RAJASTHAN GAZETTE Ordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | **Published by Authority** |

जिल्द 77 आषाढ़ 19, गुरुवार, शाके 1947–जुलाई 10, 2025 अंक 15
Vol. 77 Asadha 19 , Thursday, Saka 1947–July 10, 2025 No. 15

**भाग 7**

**विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।**

**नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र**

**[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर. 187, दिनांक 10–04–57 की अनुपालना में]**

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता गजेन्द्र सिंह राजावत (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व गजेन्द्र सिंह (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो पम्प फिटर–II (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में PHED जिला उपखण्ड टोंक (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम गजेन्द्र सिंह उपनाम..... (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम गजेन्द्र सिंह तथा उपनाम राजावत ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम.....(केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम राजावत द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात सभी समय निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों बन्ध–पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम गजेन्द्र सिंह तथा उपनाम राजावत (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में गजेन्द्र सिंह नाम के रूप में तथा राजावत उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम गजेन्द्र सिंह उपनाम राजावत के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम गजेन्द्र सिंह तथा गजेन्द्र सिंह राजावत का वर्णन किया है तथा दिनांक ..... को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम गजेन्द्र सिंह राजावत द्वारा जो पूर्व में गजेन्द्र सिंह कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–
1. मुस्लिम बेग, पम्प चालक, PHED जिला उपखण्ड टोंक
2. मुरर्स्लीन खां, पम्प चालक, PHED जिला उपखण्ड टोंक

गजेन्द्र सिंह
हस्ताक्षर
नया नाम : गजेन्द्र सिंह राजावत
पुराना नाम : गजेन्द्र सिंह

**प्रतिहस्ताक्षर**
**प्रभाती लाल मीना**
**सहायक अभियन्ता**
**जन स्वा.अभि. विभाग**
**जिला उपखण्ड टोंक।**

**8164**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**